

14/8/11

पत्रापत्नी केस डुरी। वादी के अधिकारता  
उपासित नहीं है। उचितारी के अधिकारता  
उपासित है। वादी के अधिकारता को भाषण  
दिलवाए गए। किन्तु उपासित नहीं हुआ एक  
वादी भी उपासित नहीं है। अतः अदम्य दायरी  
अदम्य पौखी में प्रकरण रकाशक विधि गगला है।  
आद दायरला पत्रापत्नी विधि शुभार होकर  
मस्वर से कम है। विधि पुनः गगा।

३

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर (मीलवाड़ा)

राज्यीय प्रशासनिक सेवा  
में आकाशक विभागीय निकायों में  
काम में लेना विचार करना। निधि  
विभागीय विभागों में कार्य निधि  
। निधि विभागों में कार्य निधि